





elhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2012/फाल्गुन 30, 1933

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 323

सं. 3] No. 3]

DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2012/PHALGUNA 30, 1933

[N.C.T.D. No. 323

भाग ।। खण्ड 1

PART II-Section 1

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 20 मार्च, 2012

सं.फा. 1/4/वि.एवं याय/2011/उपसचिव विधि/722-735,—

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उप-धारा 7 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा/अथवा सरकारी अधिकारी/अधिकारियों जिनका बचाव उनके द्वारा किया जाना है, के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/अथवा भारत संघ द्वारा या विरुद्ध किसी वाद, रिट याचिका, अपील या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को सरकारी वकील (प्लीडर)/पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	🦜 पिता का नाम्
(1)	(2)	(3)
1.	अर्जुन पंत	स्व. श्री एम.सी.पंत
2.	अमित एंडले	श्री महिन्दर नारायण
3.	करण भरिहोक	श्री अजीत भरिहोक
4.	महेश बी. छिब्बर	श्री बी. एल. छिब्बर
5.	सात्विक वर्मा	श्री एम. एल. वर्मा
6.	, सुजाता कश्यप	स्व.श्री पी.सी. कश्यप
7.	सुरेश त्रिपाठी	स्व.श्री एन.एम. त्रिपाठी
8.	विनय कुमार गर्ग	श्री देश बन्धु

- 2. ये नियुक्तियां समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।
- 3. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी और आगामी आदेशों तक-सभावी रहेगी।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATIONS

Delhi, the 20th March, 2012

No. F. 1/4/L&J/2011/Dy.Secy. Law/722-735.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders/ Panel Advocates for the High Court of Delhi, in relation to any suit, writ petition, appeal or other proceedings by or against the Government of NCT of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and/or Public Officer(s) whose defence has been undertaken by it, namely:—

Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name
(1)	(2)	(3)
1.	Arjun Pant	Late Shri M.C. Pant
2.	Amiet Andlay	Shri Mahinder Narain
3.	Karan Bharihoke	_ Shri Ajit Bharihoke
4.	Mahesh B. Chhibber	Shri B.L.Chhibber
5.	Satvik Varma	Shri M.L.Varma
6.	Sujata Kashyap	Late Sh. P.C.Kashyap
7.	Suresh Tripathy	Late Sh. N.M. Tripathy
8.	Vinay Kumar Garg	Sh. Desh Bandhu

2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.

3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

सं. फा. 1/4/वि.एवं न्याय./2011/उप-सचिव विधि/707-721.—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उप-धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा/अथवा सरकारी अधिकारी/अधिकारियों जिनका बचाव उनके द्वारा किया जाना है, के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/अथवा भारत संघ द्वारा या विरुद्ध किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए जिला न्यायालयों में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को सरकारी वकील (प्लीडर)/पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं:—

तीस हजारी न्यायालय

्तास हजार	ा न्यायालय	
क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	पिता का नाम्
1.	चन्द्र मोहन शर्मा	श्री एच.एस.शर्मा
2.	निधि परूथी कक्कड़	स्व. एस.के.परूथी
रोहिणी न्य	ायालय	
क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	पिता का नाम
1.	ललिता गुप्ता	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता
2.	रोहित बंसल	स्व. श्री प्रेम नाथ बंसल
द्वारका न्या	यालय	
क्र.सं.	अधिवृक्ता का नाम	पिता का नाम
1.	गीता ढींगरा	श्री एम. सी. ढींगरा
पटियाला ।	हाउस न्यायालय	n e
क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	पिता का नाम
1.	मृणालिनी सेन गुप्ता	श्री विक्रमजीत सेन
2.	रिचन ओ. भूटिया	श्री पेम छोजिंग लामा
कड़कड़डूम	ा न्यायालय	ė
क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	पिता का नाम
1.	राजकुमार मित्तल	श्रीं डी.आर. मित्तल
2.	स्नेह रेखा ठाकुर	श्री आर.एस.भौरिया
साकेत न्या	यालय	
क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	पिता का नाम
1.	अजय गुप्ता	स्व. श्री-पूस.पी.गुप्ता
	राजीव भारद्वाज	🧸 श्री बी.एम. भारद्वाज
	त्साक्षी पोपली	डॉ. के.बी. पीपली
2. ये	नियुक्तियां समय-समय पर	यथानिर्धारित शतौं के अधीन

- 2. ये नियुक्तियां समय-समय पर यथानिर्धारित शर्तों के अधीन होगीं।
- उ. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, तरून सहरावत, अति.सचिव No. F. 1/4/L&J/2011/Dy.Secy.Law/707-721.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 2 of Code of Civil Procedure (5 of 1908), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following advocates as Government Pleaders/ Panel Advocates for the District Courts for conducting any suit, appeal or other proceedings by or against the Government of NCT of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi and/or Public Officer (s) whose defence has been undertaken by it, namely:—

Tis Hazari Courts

	SI. No.	Name of the Advocate	e Father's Name	
	1. 2. Rohini	Chandra Mohan Sharma Nidhi Pruthi Kakkar Courts	a Sh. H. S. Sharma Late Sh. S. K. Pruthi	
	Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name	
,	1. .2.		Sh.Chandra Prakash Gupta Late Sh. Prem Nath Bansal	
	Dwark	a Courts		
	Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name	
	1.	Gita Dhingra	Sh. M. C. Dhingra	
	Patiala	House Courts	*	
	Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name	
	1. 2.	Mrinalini Sen Gupta Rinchen O. Bhutia	Sh. Vikramjit Sen Sh. Pem Chozing Lama	
Karkardooma Courts				
	Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name	
	1. 2.	Raj Kumar Mittal Sneh Rekha Thakur	Sh. D. R. Mittal Sh. R. S. Bhoria	
Saket Courts				
	Sl. No.	Name of the Advocate	Father's Name	
	1. 2. 3.	Ajay Gupta Rajiv Bhardwaj Sakshi Popli	Late Sh. S. P. Gupta Sh. B. M. Bhardwaj Dr. K. B. Popli	
	2.	These appointments sha	all be subject to such terms	

- 2. These appointments shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time.
- 3. This notification shall come into force with immediate effect and shall remain in force till further orders.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.